

संख्या: 166 / XXXIX/24-01(SA0) / 2024

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूडी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,

देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 07 अप्रैल, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदया,

उपर्युक्त विषयक वित्त (अनु-01) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-201358/09(150)-2019/xxvii(1)/2024, दिनांक-22.03.2024 एवं तत्कम में आपके पत्रांक-08/बजट/उ.भा.सं./2024-25, दिनांक-10 अप्रैल 2024 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के निम्नलिखित मानक मदों की कुल प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये जाने की स्थिति में निम्नवत् निदेशक के निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	शीर्षक	प्राविधानित धनराशि 2024-25	शेष धनराशि	वर्तमान में प्रस्तावित धनराशि
	04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान			
1	2	3	5	6
05	वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	5000	5000	-
08	पारिश्रमिक	5000	2500	2500
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	10000	5000	5000
	योग	20000	12500	7500

(रू0 पचहत्तर लाख मात्र)

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के



अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद 05-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान, 08-पारिश्रमिक, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)-2019/XXVII(1)/2024, दिनांक-22.03.2024 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Vinod Prasad
Raturi
Date: 07-06-2024 10:49:49
(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, निम्बूवाला, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-1 एवं अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शुचि अग्रवाल)
अनु सचिव।

01C

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)**Digitally signed by: Mrs Shuchi Aggarwal
Reason : SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-06-2024 11:43:17

Administrative Department : Secretary, Language (S028)

Head of Department : Deputy Secretary Language(4670)

आवंटन पत्र संख्या - E71853/2024-25

आवंटन आई डी - S24060110015

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक - 11-JUN-2024

लेखा शीर्षक -

2202	सामान्य शिक्षा	05	भाषा विकास
102	आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन	04	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठाता
00	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठाता		

2	2	0	2	0	5	1	0	2	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	08-पारिश्रमिक	0	2500000	0	2500000
2	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	5000000	0	5000000
	योग	0	7500000	0	7500000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 75,00,000 (Rupees Seventy Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:S028:S028:2406:0001

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

संख्या- 372/XXXIX/2024(GO-2)-01(सा0)/2024

प्रेषक,
विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।

भाषा अनुभाग
विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदया,

देहरादून : दिनांक 29 नवम्बर, 2024

उपर्युक्त विषयक वित्त (अनु-01) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-201358/09(150)-2019/xxvii(1)/2024, दिनांक-22.03.2024 एवं तत्क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश-216368/2024/166/xxxix/24-01(सा0)/2024, दिनांक 07.06.2024 एवं वर्तमान में प्रेषित आपके पत्रांक-1164/बजट/उ.भा.सं./2024-25, दिनांक 08 नवम्बर, 2024 व पत्रांक-1245/उ.भा.सं./2024-25, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 11 में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद पारिश्रमिक-08 में कुल प्राविधानित धनराशि रु0 50.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में निर्गत धनराशि रु0 25.00 लाख के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख मात्र) एवं मानक मद-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में कुल प्राविधानित धनराशि रु0 100.00 लाख के सापेक्ष पूर्व निर्गत धनराशि रु0 50.00 लाख के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि रु0 50.00 लाख (रु0 पचास लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु0 70.00 लाख (रु0 सत्तर लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद 08-पारिश्रमिक एवं मानक मद-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)-2019/xxvii(1)/2024, दिनांक-22.03.2024 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)

Date: 29/11/2024 15:01:45



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, निम्बूवाला, कौलागढ़, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-1 एवं अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by

Jasvinder Kaur (जसीवन्दर कौर)

Date: 02-2-2024 12:52:19

उप-सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Language(S028)
HOD-Deputy Secretary Language(4670)

आवंटन पत्र संख्या -332/XXXIX/2024-01(Samanya)2024
 अनुदान संख्या -011

आवंटन आई.डी-S24120110001
 आवंटन पत्र दिनांक-02-DEC-2024

लेखा शीर्षक

2202-सामान्य शिक्षा
 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा
 साहित्य का संवर्धन
 00-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
 अधिष्ठान

05-भाषा विकास

04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान

Voted

2	2	0	2	0	5	1	0	2	0	4	0	0
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
08-पारिश्रमिक					2500000	2000000	0	4500000				
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)					5000000	5000000	0	10000000				
योग					7500000	7000000	0	14500000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.70,00,000 (Rupees Seventy Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER